प्रो० गुलाम गॉस, मा० सदस्य, बिहार विधान परिषद द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०– 01/212/900 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि सच्चर कमिटि की रिपोर्ट के अनुसार देश में मुसलमानों की हालत (शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक) दलितों (अनुसूचित जाति) से बदतर है, तथा इससे बिहार अछूता नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। सच्चर कमिटि की रिपोर्ट भारत सरकार को समर्पित है।
(ख)	क्या यह सही है कि राज्य की लगभग 16 प्रतिशत आबादी दलितों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु 91 अम्बेडकर आवासीय विद्यालय भवनों में कई वर्षों से संचालित हैं, परन्तु 17.7 प्रतिशत आबादी अल्प संख्यकों (मुसलमानों) के बच्चों के लिए मात्र 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय चल रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक के उत्थान हेतु प्रयत्नशील है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा एवं व्यवासायिक प्रक्षेत्र यथा मेडिकल/इंजिनियरिंग आदि में बढ़ाने हेतु राज्य के सभी जिलों में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया गया है जिसके तहत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय दरभंगा एवं किशनगंज में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ हो गया है। वर्ष 2025–26 तक कुल 22 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से पाँच अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र–2026–27 से प्रारंभ किया जायेगा। 11 जिलों से भूमि प्राप्त है, जिसके निर्माण की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष 03 जिलों से भूमि प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी/वक्फ बोर्ड से पत्राचार किया गया है।
(ग)	क्या यह सही है कि राज्य के अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं सबसे कमजोर वर्ग को शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में विभाग सही साबित नहीं हो रहा हे तथा तरक्की में रूकावट बना हुआ हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कुल बजट 3.53 करोड़ रुपया था, जो वर्ष 2025–26 में लगभग 303 गुणा बढ़कर 1041.00 करोड़ रुपया तक पहुँच गया है। 1. अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास आवास योजनान्तर्गत 40 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास एवं 10 बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है। 10 छात्रावास निर्माणाधीन है।

लगातार ......

		2. अल्पसंख्यक छात्रावासों के आधुनिकीकरण योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रभावी है, जिसके तहत सभी छात्रावासों में कम्प्युटर, एक्वागार्ड, वॉशिंग मशीन, इंटरनेट (वाई–फाई), रेफ्रिजरेटर, ध्वनि रहित जेनरेटर आदि आपूर्ति की जाती है। 3. अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासीत छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं पाठनकार्य की वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से अल्पसंख्यक छात्रावास आवास योजना की शुरूआत की गयी, जिसके तहत छात्रावास में आवासीत प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रति माह 1000.00 रुपया अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत अब तक कुल 10,150 छात्र/छात्राओं के बीच कुल 101.50 लाख रुपया वितरित किया जा चुका है। 4. अल्पसंख्यक छात्रावासों में Welfare Institution and Hostel Scheme के अंतर्गत वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान योजना की शुरूआत किया गया है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रावास में आवासीत प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रति माह 09 किलोग्राम चावल एवं 06 किलोग्राम गेहूँ अर्थात कुल 15 किलोग्राम खाद्यान निःशुल्क Door Step Delivery के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। 5. सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत NEET, JEE, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 से कोचिंग योजना प्रारम्भ की गई है। 6. राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के समस्याओं का त्वरित एवं ससमय निष्पादन हेतु सभी 38 जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का गठन कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है साथ ही 33 जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पटना एवं भोजपुर जिला में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को समाहरणालय में कार्यालय आवंटित किया गया है। दो जिलों में कार्यालय निर्माणाधीन है। अल्पसंख्यक कार्यालयों को प्रखण्ड स्तर तक कार्यरत करने हेतु

लगातार ......

		459 प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं 459 निम्नवर्गीय लिपिक की भी स्वीकृति दी गई है। इसपर नियुक्ति अधियाचना भी प्रेषित है। 7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के आवास निर्माण योजनान्तर्गत 23 जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का आवास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 07 जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। 8. अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 तक कुल 16,160 परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान में योजनान्तर्गत एकमुश्त प्रतिलाभुक ₹25000.00 दिया जा रहा है 9. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013—14 से 2025—26 की अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं से कुल 4547 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। वर्त्तमान में 469 अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत है। 10. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है एवं इस योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत अब तक कुल 10,35,396 लाभार्थियों को कुल ₹1,194.4567 करोड़ रुपया वितरित किया गया है। 11. राज्य के अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू की गयी है जिसका कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है परन्तु निधि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र युवक/युवतियों को कुल परियोजना लागत के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये जिसमें

लगातार ......

		से 50 प्रतिशत राशि अनुदान/सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक बजट उपबंध की कुल राशि 300 लाख रुपया से कुल 3328 लाभुकों के बीच ऋण वितरीत किया गया। 12. बिहार राज्य मदरसा शुद्धिकरण योजनान्तर्गत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के मान्यता प्राप्त मदरसों में मुलभूत सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना का निर्माण यथा अतिरिक्त वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, कम्प्यूटर/विज्ञान लैब, पुस्तकालय, शौचालय, शौर्य ऊर्जा सयंत्र का निर्माण कराया जाता है। योजनान्तर्गत अब तक कुल 68 मदरसों में निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है जिसकी कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹175.05234 करोड़ है, जिसमें 12 मदरसों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष निर्माणाधीन है। 13. बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड से निबंधित औकॉफ की संपत्ति के विकास हेतु विभिन्न जनोपयोगी संरचनायें यथाः बहुद्देशीय भवन, मुशाफिर खाना, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स आदि का निर्माण एवं रख–रखाव किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक कुल 28 योजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसकी कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹288.125381 करोड़ है। जिसमें से 09 योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी है। शेष निर्माणाधीन है।
(घ)	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के बचे हुए 36 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त (कंडिका–ख) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कृ०पृ०उ०

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– अ०सं०क०–08–ग०–आ०वि०–09/2026 580 / पटना, दिनांकः– 06.02.26

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.26

(संतोष कुमार)
सरकार के अवर सचिव